बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.–05/2020 खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि, खनिज विकास पदाधिकारी के रिक्त 20 (बीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

(1) इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :–

(क)

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	08	02
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	01
3.	अनुसूचित जाति	03	01
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04	01
6.	पिछड़ा वर्ग	02	00
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	00	NA
	कुल	20	05

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	00

(ग)

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	00
(ii)	मूक बधिर (DD)	01
(iii)	अस्थि विकलांग (OH)	00
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	00

2. वेतनमान:– पुनरीक्षित–लेवल–9
3. **शैक्षणिक योग्यता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान से 2री श्रेणी, एम.एस-सी., भूगर्भ विज्ञान में उपाधि/ सम्बर्द्ध भूगर्भ विज्ञान, एम.टेक./खनन अभियंत्रण में उपाधि।
   (2nd Class, M.Sc. in Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology / Degree in Mining Engineering)

नोट:1–अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित शैक्षणिक योग्यता मान्य होगा।

नोट:2–शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–02.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

नोट:3–संस्थान/विश्वविद्यालय आदि से CGPA/OGP/CPI इत्यादी का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला अभ्यर्थी संलग्न करेंगे अन्यथा AICTE फार्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिया जायेगा।

4. उम्र सीमा – दिनांक– 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)– 42 वर्ष।
   (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2016 से 01.08.2019 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।
   (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।
   बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
   (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 13062, दिनांक– 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
   दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
   (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक– 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
   भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
5. चयन प्रक्रिया:– लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाये जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप में अंक प्राप्त किए हों जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 में प्रावधानित है– अनारक्षित–40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग– 36.5(साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 34(चौंतीस) प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांग के लिए– 32 (बत्तीस) प्रतिशत।

(क) पात्र उम्मीदवारों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा के विषय, पूर्णांक, अवधि, प्रकृति एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगे :–

क्र. सं.	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य ज्ञान	100	1:30 घंटा	वस्तुनिष्ठ	संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम।
2.	खनन	100	1:30 घंटा	विषयनिष्ठ	**MINING ENGINEERING:** Drillling and Blasting (Mec 13101), Mine Surveying-I, Introduction to Mining, Mineralogy, Petrology and Stratigraphy, Mine Surveying-II, Geology for Mining Engineers, Surface Mining, Surface Mine Planning & Design, Mine Environmental Engineering, Mine Legislation, Mine Safety, Environmental Aspects of Mining, Open Pit Slope Analysis and Design, Dimensional Stone Mining, Mine Economics, Mine Legislation and Safety-II, Fuel Technology, Mineral Processing, Mineral Economics. उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
	या				
	भूतत्व	100	1:30 घंटा	विषयनिष्ठ	**GEOLOGY :-** Structural Geology, Mineralogy & Crystallography, Igneous Petrology, Sedimentology, Metamorphic Petrology and Thermodynamics, Geomorphology & Geotectonics, General and Invertebrate Palaeontology, Stratigraphy, Ore Geology, Fuel Geology, Hydrogeology, Environmental Geology and Natural Hazards, Remote Sensing and GIS in Geology, Engineering Geology and Surveying, Mineral Exploration, Gemology, Elements of Mining and Ore Dressing, Soil Geology, Petroleum Exploration. उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

3.	खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि जो भारत विद्यमान हैं	100	1:30 घंटा	वस्तुनिष्ठ	(i) Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (ii) Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2019 (iii) Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (iv) Mines Act, 1952 (v) Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

नोट :– सुयोग्य उम्मीदवार को खनन या भूतत्व विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।

(ख) साक्षात्कार :– 50 अंक।

नोटः– साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की दोगुनी संख्या में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

6. <u>अंतिम मेधा सूची</u> :– लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोटः–लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा अंतिम मेधा सूची से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा।

7. <u>आरक्षणः</u>–

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगो को कंडिका–1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को कंडिका–1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कंडिका–1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

नोटः–(1) <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।</u>

नोटः–(2) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

1. मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

2. विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।

3. विज्ञापन की कंडिका–4 के अनुरूप उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

4. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)

5. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

9. दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)

10. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

11. CGPA/OGP/CPI इत्यादी का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला।

12. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रदद् होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

8. <u>शुल्क</u> :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग)महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो